



पूर्व मध्य रेल



कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर
दिनांक-21.11.2019

स0-ई/228/ईसीआर/एसपीजे/01/रि-इंगेज/2019

सभी शाखाधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर।

विषय:-सेवा निवृत्त रि-इंगेज्ड कर्मचारियों के सेवा अवधि के संबंध में।

**संदर्भ:-(i)रेलवे बोर्ड का पत्रांक-E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/I Dated- 12.12.2017
(RBE No.-193/2017)**

(ii) GM(P)/HJP's Letter No.ECR/HRD/Ruling Dated. 18.11.2019

संदर्भित पत्रों के निर्देशानुसार रि-इंगेजमेंट स्कीम की वैधता दिनांक 01.12.2019 तक ही प्रभावी है। अतः इस मंडल में रि-इंगेज किये गये सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक- 01.12.2019 के पश्चात् कार्य पर नहीं रखा जाय एवं ना ही दिनांक-01.12.2019 के बाद की अवधि का वेतन चार्ज किया जाए।


सर्व संबंधित तदनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालना सुनिश्चित करें।
इस पर मरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(चन्द्र किशोर)

सहायक कार्मिक अधिकारी- II
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
समस्तीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव- I/मरेप्र/समस्तीपुर- मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव/अमरेप्र/समस्तीपुर-अमरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. गोपनीय सहायक/वमकाधि/समस्तीपुर- वमकाधि महादेय को सादर सूचनार्थ।
4. सभी मुकार्याधी(कार्मिक)
5. मुकार्याधी/प्रशासन
6. संबंधित मुकार्याधी/बिल
7. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू एवं अजा/अजजा,ओबीसी एशोसियेशन/समस्तीपुर
8. कार्याधी/एमपीपी:- वे कृपया ECR के समस्तीपुर मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकृत Website पर इस पत्र को Upload कर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
9. सर्व-संबंधित
10. कार्यालयी अभिलेख हेतु।


कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
समस्तीपुर